

उम्मेदसिंह वगैरा

वनाम

गिराज नाथ वगैरा


4

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि प्रथम दृष्टया मामला अपूर्तनीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन सायलान के पक्ष में प्रमाणित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है।

आदेश

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा वावत आराजी खसरा नम्बर 331/727 रकबा 0.60 हैक्टर स्थित ग्राम बलीन तहसील महवा गैरसायलान के विरुद्ध प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर शामिल मूल वापस रहे।

निर्णय आज दिनांक 07-01-2020 को लिखाया जाकर खुलेन्यायालय में सुनाया गया।


उपअण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौला)